



चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार, प्रभारी मानिट्रिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय(डकैती कोर्ट) श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनांक 20.11.2025 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 58/2021धारा 376,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त ननकू पंडा पुत्र बुधइयां ग्राम तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 17000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2021 को थाना पहाड़ी अंतर्गत निवासिनी एक वादिया द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी कि अभियुक्त ननकू उपरोक्त ने उन्हें झाड़ू फूंक के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 58/2021धारा 376,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 स्व0 श्री तपेश मिश्रा द्वारा सम्पादित की गई। आरोपी को दिनांक 30.05.2021 को गिरफ्तार कर दिनांक 10.07.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(3). आज दिनांक 20.11.2025 को पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में उ0नि0 श्री शिवसागर तिवारी के नेतृत्व में मार्गशीर्ष अमावस्या मेला के अवसर पर रामघाट, निर्मोही अखाड़ा व मेला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर एसचेक टीम बांदा, डॉग स्क्वाड एवं एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा सघन चेकिंग कराई गई।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार, प्रभारी मानिट्रिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू श्री रवि कुमार दिवाकर द्वारा आज दिनांक 20.11.2025 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2019 धारा 8/20(A) एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अभियुक्त रामजतन कुशवाहा पुत्र गंगा प्रसाद कुशवाहा निवासी अरवारी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरण:-

दिनांक 02.01.2019 को तत्कालीन निरीक्षक श्री मान सिंह द्वारा आरोपी अभिमन्यु रामजतन कुशवाहा पुत्र गंगा प्रसाद कुशवाहा निवासी अरवारी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 41 किलो 900 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 02.01.2019 को थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 03/2019 धारा 8/20(A) एन0डी0पी0एस0 एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत कराया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव द्वारा की गयी थी। विवेचक द्वारा दिनांक 28.02.2019 को आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(5) आज दिनांक 20.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में कानून व्यवस्था एवं शान्ति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने का भरोसा दिया गया तथा पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों, होटल/ढाबा एवं दो/चार पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।